# खत्याड गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७९

प्रस्तावना:

खत्याड गाउँपालिकाको ०७९/०८० को सेवा र कार्यहरुको लागि संचित कोषबाट केहि रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्ने बाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २२९को उप.धारा (२) बमोजिम खत्याड गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ।

१) संक्षिप्त नाम प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "खत्याड गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९" रहेको छ।

२) यो ऐन तुरन्त लागु हुने छ।

३) आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को लागी संचित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार :

(१) आर्थिक बर्ष ०७९/०८० को लागी गाउँ कार्यपालिका, वडा कार्यालय, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुका लागी अनुसुची १ मा उल्लेखीत चालु खर्च, पुजिगत खर्च, र वित्तिय ब्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ५५६,९३८।१३२/-(अक्षेरुपी रु पच्चपन्न करोड उनानसतरी लाख अठ्तीस हजार एक सय वत्तिस मात्र) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने छ।

४) विनियोजन:

(१) यस ऐन द्वारा संचित कोषबाट खर्च गर्ने र : (१) आर्थिक बर्ष ०७९/०८० को निमित्त गाउँकार्यपालिका,वडा कार्यालय,विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको लागी विनियोजन गरिने छ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कार्यपालिका वडा कार्यालय र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको लागी विनियोजन गरिएको रकम मध्ये कुनै मा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुन जाने देखिन आएमा गाउँकार्यपालिकाले वचत हुने शिर्षक बाट नपुग हुने शिर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ। यसरी रकमान्तर गर्दा एक शिर्षक बाट सोही शिर्षक को जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढाउने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शिर्षकहरुबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शिर्षकहरुमा रकमान्तर गरि निकासा र खर्च जनाउन सकिने छ। यसरी रकमान्तर गर्दा पुँजिगत खर्च शिर्षक बाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न सकिने छ भने चालु खर्च शिर्षक बाट पुजिगत खर्च शिर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने छैन।

वित्तिय ब्यावस्था तर्फ विनियोजित रकम साँवा भुतानी खर्च र ब्याज भुतानी खर्च शिर्षक मा बाहेक अन्य चालु तथा पुँजिगत खर्च शिर्षक तर्फ सार्न तथा खर्च गनै सकिने छैन। वितिय ब्यावस्था अर्न्तगत साँवा भुत्तानी खर्च तर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शिर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन। तर चालु तथा पूजीगत खर्च र वित्तीय ब्यावस्थाको खर्च ब्याहोर्न एक स्रोत बाट अर्को स्रेतमा स्रोतान्तर गर्न सकिने छ।

३)उपदफा (२)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एक शिर्षकबाट सो शिर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रतिशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शिर्षकहरुमा रकम सार्न परेमा गाउँसभाको स्वीकृत लिनु पर्ने छ।

## अनुसूची १

दफा २ संग सम्वन्धित

नेपालको संविधानको धारा २२९ (२) वमोजिम

संचित कोष वाट विनियोजन हुने रकम

रु हजारमा

| क.स. | अनुदान सख्या | शिर्षकको नाम | चालु खर्च | पुँजिगत खर्च | वित्तिय व्यवस्था | जम्मा रु |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | निशर्त अनुदान | गाउँ कार्यपालिका | १,३२,२६८/- | - | - | १,३२,२६८/- |
| | | वडा समिति शाखा | | - | - | - |
| | | ऋणको सावा व्याज भुक्तानी | | - | - | - |
| | | लगानी (शेयर/ऋण) | | - | - | - |
| २ | शसर्त अनुदान | गाउँ कार्यपालिका | २,४०,१००/- | २२,१००/- | - | २,६२,२००/- |
| | | वडा समिति शाखा | - | - | - | - |
| | | ऋणको सावा व्याज भुक्तानी | - | - | - | - |
| | | लगानी (शेयर/ऋण) | - | - | - | - |
| ३ | आन्तरिक राजश्व परिचालन | गाउँ कार्यपालिका | २,०००/- | - | - | २,०००/- |
| | | वडा समिति शाखा | -- | - | - | - |
| | | ऋणको सावा व्याज भुक्तानी | - | - | - | - |
| | | लगानी (शेयर/ऋण) | - | - | - | - |
| ४ | संघिय समपुरक अनुदान | गाउँ कार्यपालिका | - | ७,०००/- | - | ७,०००/- |
| ५ | संघिय विषेश अनुदान | गाउँ कार्यपालिका | - | ६,०००/- | - | ६,०००/- |
| ६ | प्रदेश शशर्त अनुदान | गाउँ कार्यपालिका | ७,१७०/- | ७,०००/- | - | १४,१७०/- |
| ७ | प्रदेश समपुरक अनुदान | गाउँ कार्यपालिका | - | - | - | - |
| ८ | प्रदेश विषेश अनुदान | गाउँ कार्यपालिका | - | - | - | - |
| ९ | राजश्व बाँडफाड | गाउँ कार्यपालिका | ८७,०००।१३२/- | ७,३००/- | - | ९४,३००।१३२/- |
| १० | संचित कोषमा मौज्दात रकम | गाउँ कार्यपालिका | ३०,०००/- | ९,०००/- | - | ३९,०००/- |
| | जम्मा रु | | ४७,८५,३८।१३२०/- | ५४,४००/- | | ५५६,९३८।१३२/- |

२०७९/३/१०